कार्यालयः निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्याःजे0टी0आर0आई0/अधि0-434/17-912 दिनांकः 16 जून, 2017

विज्ञप्ति/सूचना

शासनादेश संख्या 43/2017/सा0-780/सात-न्याय-1-2017-1(प्र)/2017, दिनांक 09 जून, 2017 द्वारा 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ में संविदा पर अस्थायी रूप से सृजित निम्न पदों पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से शासन द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार कर्मचारी रखे जाने है :-

क्र0सं0	पदनाम	संविदा पर रखे जाने हेतु स्वीकृत पदों की सं0	मासिक परिलब्धियां
1	2	3	4
1.	वैयक्तिक सहायक	02	रू0 35000/-
2.	कम्प्यूटर आपरेटर	01	रू0 35000/-
3.	सहायक लेखाकार	02	रू0 25000/-
4.	कनिष्ठ सहायक	02	रू0 20000/-
5.	वाहन चालक	01	रू0 20000/-
6.	इलैक्ट्रीशियन	01	रू0 20000/-
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	27	रू0 15000/-
	योग-	36	

उक्त पद निर्धारित अवधि के लिए हैं और ये पद दिनांक 29.02.2020 को स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

शासन द्वारा निर्धारित मासिक परिलब्धियों के अलावा कोई धनराशि देय नहीं होगी।

संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम/आवश्यकतानुसार ही कर्मचारियों की सेवायें ली जायेंगी।

अतएव इच्छुक वाह्य सेवा प्रदाता 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्थान में संविदा पर अस्थायी रूप से सृजित उक्त पदों हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव नियम/शर्तों एवं विगत पांच वर्षों में शासकीय/अर्धशासकीय/स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा शैक्षिणिक संस्थाओं में की गई सेवाओं/अनुभव/प्रोफाइल तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित दिनांक 26.06.2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दिनांक 26.06.2017 के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

16/6/17

(बब्बू सारंग)
अपर निदेशक (अनुसंधान)